संख्या:52/2021/769/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 23 मार्च,2021

विषय : वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- हरदोई के विधान सभा क्षेत्र गोपामऊ में राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-19/2020/258/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1792.68 लाख के सापेक्ष रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-08/2021/45/35-4-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू. रू. 468.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद द्वारा पत्र संख्या- 185/त्व0आ0वि0यो0/2020-21, दिनांक 20 मार्च, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 86 प्रतिशत धनराशि का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1792.68 लाख के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हुई कुल धनराशि रू. 468.90 लाख को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 268.90 लाख (रूपये दो करोड़ अरसठ लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	तृतीय किश्त में अवमुक्त की जा रही धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई का भवन निर्माण कार्य	1792.68	200.00	268.90	268.90

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 20 जनवरी, 2021 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2021 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2021 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:52/2021/769(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक, प्रविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
15- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हरदोई।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in